रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड
PART II—Section 3—Sub-section

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 270] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 10, 1982/भाद्र 19, 1904
No. 270] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 10, 1982/BHADRA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 1982

स 214/82—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा०का०नि० 563(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (11वां संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) नियम 2 के खण्ड (ii) में,—

(क) "अपील कलक्टर" शब्दों के स्थान पर "कलक्टर (अपील)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ख) [illegible] केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [illegible] कलक्टर, शब्दों [illegible] के स्थान [illegible] उत्पाद शुल्क [illegible] शब्द रखे जाएंगे।

[illegible]

(ग) "[illegible]" के स्थान पर "[illegible]" रखे जाएंगे।

[illegible]

अध्याय 12

213 कलक्टर (अपील) को अपील का प्रारूप

(1) [illegible] (अपील) [illegible] उपनियम (1) के अधीन कोई अपील [illegible]

(2) [illegible] जाएगी [illegible] किए जाएंगे —

(क) [illegible] अधिनियम [illegible] उप [illegible] प्राधिकारी [illegible]

या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी अन्य व्यक्ति द्वारा,

(ख) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की दशा में, कर्ता द्वारा और, जहां कर्ता भारत से अनुपस्थित है या अपने कार्यों की देख-भाल करने में मानसिक रूप से असमर्थ है वहां ऐसे कुटुम्ब के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा;

(ग) किसी कम्पनी या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, उसके प्रधान अधिकारी द्वारा;

(घ) किसी फर्म की दशा में, उसके किसी भागीदार द्वारा जो अवयस्क नहीं है;

(ङ) किसी अन्य संगम की दशा में, संगम के किसी सदस्य या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा; और

(च) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में, उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी व्यक्ति द्वारा।

(3) प्ररूप सं० के०उ०शु०अ० 1 में अपील का प्ररूप दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा और उसके साथ उस विनिश्चय या आदेश की एक प्रति लगाई जाएगी जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

214. कलक्टर (अपील) को आवेदन का प्ररूप

(1) धारा 35ङ की उपधारा (5) के अधीन कलक्टर (अपील) को आवेदन प्ररूप सं० के०उ०शु०अ० 2 में किया जाएगा।

(2) आवेदन का प्ररूप, प्ररूप सं०के०उ०शु०अ० 2 में दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा और उसके साथ न्याय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय या आदेश की दो प्रतियां (जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा ऐसे प्राधिकारी को कलक्टर (अपील) को आवेदन करने के लिए निदेश करते हुए पारित आदेश की एक प्रति लगाई जाएगी।

215. कलक्टर (अपील) के समक्ष अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना

(1) अपीलार्थी, कलक्टर (अपील) के समक्ष उस साक्ष्य से भिन्न जो उसने न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान पेश किया हो कोई साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाए, पेश करने का हकदार नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने ऐसे साक्ष्य को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ; या

(ख) जहां अपीलार्थी को, उस साक्ष्य को, जिसे पेश करने के लिए उस प्राधिकारी ने उससे अपेक्षा की थी पेश करने से रोके जाने का पर्याप्त कारण है;

(ग) जहां अपीलार्थी को प्राधिकारी के समक्ष किसी साक्ष्य को जो अपील के किसी आधार से सुसंगत है पेश करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था; या

(घ) जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी ने, अपीलार्थी को अपील के किसी आधार से सुसंगत साक्ष्य को पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए बिना, आदेश कर दिया है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कोई भी साक्ष्य तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि कलक्टर (अपील) स्वीकार किए जाने के कारणों को अभिलिखित न करे।

(3) कलक्टर (अपील), उप नियम (1) के अधीन पेश किए गए किसी साक्ष्य को तब तक नहीं लेगा जब तक कि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी या उक्त प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को—

(क) साक्ष्य या दस्तावेजों की परीक्षा करने या अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्षी की प्रति परीक्षा करने, या

(ख) किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने अथवा उप नियम (1) के अधीन अपीलार्थी द्वारा पेश किए गए साक्ष्य का खंडन करने के लिए कोई साक्षी प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

(4) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात से कलक्टर (अपील) को किसी दस्तावेज को पेश करने या किसी साक्षी की परीक्षा करने के लिए निदेश देने की शक्तियों पर जिससे कि वह अपील का निपटारा कर सके प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 12-ख

अपील अधिकरण को अपील

216. अपील अधिकरण को अपीलों आदि का प्ररूप

(1) धारा 35-ख की उप धारा (1) के अधीन अपील अधिकरण को कोई अपील प्ररूप सं० के०उ०शु०अ० 3 में की जाएगी।

(2) धारा 35-ख की उप धारा (4) के अधीन अपील अधिकरण को प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन प्ररूप सं० के०उ०शु०अ० 4 में किया जाएगा।

(3) जहां धारा 35-ख की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, या उस धारा की उपधारा (4) के अधीन प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है/दिया जाता है तो क्रमशः प्ररूप सं० के०उ०शु०अ० 3 और के०उ०शु०अ० 4 में यथास्थिति विष्ट अपील के आधार, प्रत्याक्षेपों के आधार और सत्यापन के प्ररूप पर नियम 213 के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) अपील का प्ररूप प्ररूप सं०के०उ०शु०अ० 3 और प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन का प्ररूप, प्ररूप सं० के०उ०शु०अ० 4 में चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, समान संख्या में प्रतियां लगाई जाएंगी (जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी)।

217. अपील अधिकरण को आवेदन का प्ररूप

(1) धारा 35-ङ की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण को कोई आवेदन आदेश प्ररूप संख्या के०उ०शु०अ० 5 में किया जाएगा।

(2) आवेदन का प्ररूप, प्ररूप सं० के०उ०शु०अ० 5 में चार प्रतियों में भरा जाएगा और उसके साथ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा पारित आदेश या विनिश्चय की प्रतियां बराबर की संख्या में जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी और ऐसे कलक्टर को अपील अधिकरण को आवेदन करने के लिए निदेशित करते हुए प्रशासक द्वारा पारित किए गए आदेश की प्रति लगाई जाएगी।

218. उच्च न्यायालय को निर्देश के लिए अपील अधिकरण को आवेदन का प्ररूप

(1) धारा 35छ की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन अपील अधिकरण से यह अपेक्षा करते हुए कि वह विधि के किसी प्रश्न का निर्देश उच्च न्यायालय को करे प्ररूप संख्या के०उ०शु०अ० 6 में किया जाएगा और ऐसा आवेदन तीन प्रतियों में फाइल किया जाएगा।

(2) धारा 35छ की उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण को प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन प्ररूप संख्या के०उ०शु०अ० 7 में किया जाएगा और ऐसा ज्ञापन तीन प्रतियों में फाइल किया जाएगा।

(3) जहां धारा 35छ की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क कलक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो क्रमशः प्ररूप संख्या के०उ०शु०अ० 6, के०उ०शु०अ० 7 में यथा अन्तर्विष्ट आवेदन, प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन और प्रत्यापन के प्रश्नों पर नियम 213 के उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

अध्याय 12—ग

अपीलों से संबंधित अन्य विषय

219. अपील अधिकरण की भाषा :—(1) अपील अधिकरण की भाषा अंग्रेजी होगी ।

(2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट बात के होते हुए भी अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाही के पक्षकार, यदि वे ऐसा चाहें तो हिन्दी में लिखें गए दस्तावेज फाइल कर सकेंगे ।

220. अपीलों आदि के फाइल करने के लिए प्रक्रिया

(1) अपील प्ररूप संख्या के उ०शु०अ० 3 में या प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन प्ररूप संख्या के० उ० शु० अ० 4 में अथवा के० उ० शु० अ० 7 में या आवेदन प्ररूप संख्या के० उ० शु० अ० 5 में अथवा के० उ० शु० अ० 6 में व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास उपस्थापित किया जाएगा या रजिस्ट्रार अथवा अधिकारी को संबोधित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन कोई अपील या प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन या डाक द्वारा भेजा गया आवेदन रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को उस तारीख को जिसको वह यथास्थिति रजिस्ट्रार के कार्यालय में या ऐसे अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त होता है उपस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

220-क. अपीलों आदि के उपस्थापित करने की तारीख

नियम 220 के अधीन यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी प्रत्येक अपील या प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन या आवेदन पर वह तारीख पृष्ठांकित करेगा, जिसको वह उस नियम के अधीन उपस्थापित किया जाता है या उपस्थापित किया गया समझा जाता है और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा ।

220-ख. किसी व्यक्ति को प्रत्यार्थी के रूप में संयोजित किया जा सकेगा

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई अपील में कलक्टर को प्रत्यर्थी बनाया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर द्वारा की गई अपील या किए गए आवेदन में दूसरे पक्षकार को यथास्थिति अपील या आवेदन में प्रत्यर्थी बनाया जाएगा ।

220-ग. प्राधिकृत प्रतिनिधियों को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज का अपील आदि से संलग्न किया जाना

विभागीय प्राधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा फाइल की गई किसी अपील या प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन या आवेदन में प्रतिनिधि को हस्ताक्षर करने और उसकी ओर से उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज जहां वह उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित है ऐसी अपील या प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन या आवेदन से संलग्न किया जाएगा ।

220-घ. दूसरे पक्षकार को प्रतियां पृष्ठांकित करना

अपील अधिकरण अपील या प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन या आवेदन की एक प्रति जैसे ही वह फाइल की जाती है, दूसरे पक्षकार को भेजेगा ।

220-ङ. रोक पिटीशन के फाइल करने और निपटाने के लिए प्रक्रिया

(1) (क) मांगे गए किसी शुल्क या उदग्रहीत शास्ति का निक्षेप करने की अपेक्षा के रोक के लिए अधिनियम के उपबंध के अधीन किया गया प्रत्येक आवेदन अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा तीन प्रतियों में उपस्थापित किया जाएगा या रजिस्ट्रार को अथवा अपीलों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ।

(ख) ऐसे आवेदन में से प्रत्येक की एक प्रति ही आवेदक द्वारा कलक्टर के प्राधिकृत प्रतिनिधि पर साथ साथ तामील की जाएगी ।

(2) रोक के लिए प्रत्येक आवेदन कागज के एक तरफ स्वच्छ टाइप किया जाएगा और अंग्रेजी में होगा और नियम 219 के उप-नियम (2) के उपबंध ऐसे आवेदन को लागू होंगे ।

(3) रोक के लिए आवेदन में संक्षिप्त रूप से निम्नलिखित का कथन किया जाएगा :

(क) उस शुल्क या शास्ति की मांग की बाबत तथ्य, जिसके निक्षेप के बारे में यह चाहा गया है कि वह रोका/रोकी जाए ।

(ख) शुल्क या शास्ति की ठीक ठीक रकम और उसमें की निर्विवाद रकम और बकाया रकम,

(ग) अधिकरण के समक्ष अपील फाइल करने की तारीख और उसकी संख्या, यदि ज्ञात हो,

(घ) क्या रोक के लिए आवेदन अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष किया गया था या किसी सिविल न्यायालय के समक्ष और यदि ऐसा है तो उसका परिणाम (पक्षकार, यदि कोई हो, की प्रतियां ऐसे प्राधिकार के साथ संलग्न की जाएंगी)

(ङ) रोक चाहने के लिए संक्षेप में कारण,

(च) क्या आवेदक प्रतिभूति की प्रस्थापना करने के लिए तैयार है और यदि ऐसा है तो किस रूप में,

(छ) प्रार्थनाओं का स्पष्टतः और संक्षेप में उल्लेख किया जाए (उस निश्चित रकम का कथन किया जाए जिसके बारे में चाहा गया है कि वह रोकी जाए) ।

(4) आवेदन की अन्तर्वस्तुओं का अपीलार्थी द्वारा या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा शपथ लेकर समर्थन किया जाएगा ।

(5) रोक के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संबंधित विभाग के प्राधिकारियों के सुसंगत आदेशों की तीन प्रतियां होंगी जिनके अन्तर्गत वे अपील आदेश, यदि कोई हों, जिनके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपील अधिकरण को अपील फाइल की गई है और अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों, भी हैं :

तथापि यह कि अपील अधिकरण अपने विवेक से और आवेदक के अनुरोध पर ऐसे आदेशों की प्रतियां फाइल करने की अपेक्षाओं से छूट दे सकेगा ।

(6) कोई आवेदन, जो उक्त अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, संक्षेपतः नामंजूर किया जा सकेगा ।

5. उक्त नियमों के नियम 232क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

232-ख. प्राधिकृत प्रतिनिधियों के लिए अर्हताएं

धारा 35घ के प्रयोजनों के लिए किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि में ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा, जिसने निम्नलिखित अर्हताओं में से, जो कि उक्त

धारा 35थ की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं हैं, कोई अर्हता अर्जित कर ली है, अर्थात् :—

(क) चार्टर्ड अकाउंटेन्ट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ के भीतर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, या

(ख) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अर्थ के भीतर कोई लागत लेखापाल, या

(ग) कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अर्थ के भीतर कोई कंपनी सचिव, और जिसने उक्त अधिनियम की धारा 6 के अधीन व्यवसाय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, या

(घ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर या आनर्स की उपाधि धारण करने वाला या व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा धारण करने वाला कोई व्यक्ति, या

(ङ) कोई ऐसा व्यक्ति जो सीमा शुल्क या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या व्यापक विभागों में पहले नियोजित था और जो उक्त विभागों में से एक या एक से अधिक में किसी हैसियत में कुल मिलाकर कम से कम दस वर्ष सेवा करने के पश्चात् ऐसे नियोजन से सेवानिवृत्त हो गया है या जिसने पद त्याग दिया है ।

स्पष्टीकरण : इस नियम में "मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय" से नीचे विनिर्दिष्ट विश्वविद्यालयों में से कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है अर्थात् :—

(i) भारतीय विश्वविद्यालय : तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निगमित कोई भारतीय विश्वविद्यालय,

(ii) रंगून विश्वविद्यालय

(iii) ब्रिटिश और वेल्स विश्वविद्यालय : बर्मिंघम, ब्रिस्टल कैम्ब्रिज, डरहम, लीड्स लिवरपूल, लन्दन, मैनचैस्टर, रीडिंग, शफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय,

(iv) स्काटलैण्ड के विश्वविद्यालय. ऐबरडीन एडिनबर्ग ग्लास्गो सेन्ट एन्ड्रूज के विश्वविद्यालय

(v) आयरलैण्ड के विश्वविद्यालय

डबलिन, (ट्रिनिटी महाविद्यालय) के विश्वविद्यालय, क्वीन का विश्वविद्यालय बैलफास्ट और डबलिन का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय,

(vi) पाकिस्तान के विश्वविद्यालय :

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित कोई पाकिस्तानी विश्वविद्यालय .

(vii) बंग्लादेश के विश्वविद्यालय :

तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा निगमित कोई बंग्लादेश के विश्वविद्यालय ।

232-ग धारा 35थ (5)(ख) के अधीन प्राधिकारी

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर जिसकी अधिकारिता ऐसी कार्यवाहियों में है जिनमें ऐसा व्यक्ति, जो कोई विधि व्यवसायी नहीं है अधिनियम के अधीन उक्त कार्यवाहियों के संबंध में कदाचार का दोषी पाया गया है धारा 35थ की उपधारा (5) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए अधिकारी होगा ।

6. उक्त नियमों के परिशिष्ट क (1) में :—

(क) "क (1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्ररूपों की सूची" में क्रम सं० 87 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आवलि सं०	प्ररूप का वर्णन	नियम सं०	संक्षिप्त नाम	
88.	अधिनियम की धारा 35 के अधीन कलक्टर (अपील) को अपील का प्ररूप ।	213	के०उ०शु०	1
89.	अधिनियम की धारा 35ङ के अधीन कलक्टर (अपील) को आवेदन का प्ररूप ।	214	,,	2
90.	अधिनियम की धारा 35ख के अधीन अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप ।	216	,,	1
91.	अधिनियम की धारा 35ख के अधीन अधिकरण को प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप ।	216	,,	3
92.	अधिनियम की धारा 35ङ के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन का प्ररूप ।	217	,,	5
93.	अधिनियम की धारा 35छ के अधीन अपील अधिकरण को निर्देश-आवेदन का प्ररूप	218	,,	6
94.	अधिनियम की धारा 35 छ के अधीन उच्च न्यायालय को निर्देश के मामले में, अपील अधिकरण को प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप ।	218	,,	7

(ख) "ख (II) नमूना प्ररूप" में :—

के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्.—

प्ररूप संख्या के० उ० शु० अ० ।

[नियम 213(1) देखें]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 के अधीन कलक्टर (अपील) को अपील का प्ररूप ।

1. संख्या ————————— वर्ष —————————

2. अपीलार्थी का नाम और पता —————————

3. उस अधिकारी का पदाभिधान और पता जिसने वह विनिश्चय या आदेश पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है और विनिश्चय या आदेश की तारीख ।

4. अपीलार्थी को उस विनिश्चय या आदेश को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संसूचित करने की तारीख ।

5. पता जिस पर अपीलार्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी ।

6. क्या शुल्क या शास्ति या दोनों का निक्षेप कर दिया गया है, यदि नहीं तो क्या ऐसे निक्षेप से अभिमुक्त कर दिए जाने के लिए

आवेदन किया गया है। (चालान की एक प्रति जिसके अधीन निक्षेप किया गया है, इसके साथ दी जाए)।

7 अपील में दावा की गई राहत।

तथ्यों का कथन

अपील के आधार

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि
यदि कोई है, के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ———————————— अपीलार्थी यह घोषणा करता हूं कि ऊपर जो कथित है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख ——————को सत्यापित किया गया।

स्थान ——————

तारीख——————

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि
यदि कोई है, के हस्ताक्षर

टिप्पण . (1) अपील के आधार और सत्यापन प्ररूप पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 213 के उपबंधों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) अपील का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत तथ्यों का कथन और अपील के आधार भी हैं दो प्रतियों में फाईल किया जाएगा और उसके साथ उस आदेश या विनिश्चय की जिसके विरुद्ध अपील की गई है, एक प्रति भी लगाई जाएगी।

प्ररूप संख्या के०उ०शु० अ० 2

[नियम 214 देखें]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 (ग) (4) के अधीन कलक्टर (अपील) को आवेदन का प्ररूप

तारीख ———————————की संख्या ——————————

आवेदक
बनाम
प्रत्यर्थी

1. आवेदक का पदाभिधान और पता (यदि आवेदक न्यायनिर्णायक प्राधिकारी नहीं है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर से आवेदन करने के लिए प्राधिकरण की एक प्रति संलग्न करें।

2. प्रत्यर्थी का नाम और पता।

3. उस अधिकारी का पदाभिधान, और पता जिसने वह विनिश्चय या आदेश पारित किया है जिसके संबंध में यह आवेदन किया जा रहा है, तथा विनिश्चय या आदेश की तारीख।

4 वह तारीख जिसको केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35ग की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर ने आदेश पारित किया है।

5. न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को उपर्युक्त 4 में निर्दिष्ट आदेश, संसूचित करने की तारीख।

6 राहत के लिए प्रार्थना पत्र।

तथ्यों का कथन

आवेदन के आधार

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण . आवेदन का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत तथ्यों का कथन और आवेदन के आधार भी है, दो प्रतियों में फाइल किया जाएगा और उसके साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय या आदेश की दो प्रतियां (जिसमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी) और अधिनियम की धारा 35ग की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर के आदेश की एक प्रति लगाई जाएगी।

प्ररूप सं० के०उ०शु०अ० 3

[नियम 216 (1) देखें]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 ख के अधीन अपील अधिकरण को अपील का प्ररूप।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपील अधिकरण में

वर्ष ——————— की अपील संख्या — ——————

अपीलार्थी
बनाम
प्रत्यर्थी

1 उस प्राधिकारी का पदाभिधान और पता जिसने वह आदेश पारित किया है, जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

2. उस आदेश की संख्या और तारीख, जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

3 उस आदेश का संसूचित किए जाने की तारीख, जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और के० उ० कलक्टर, जिसमें आदेश पारित किया गया था/शास्ति का विनिश्चय किया गया था/जुर्माना किया गया था।

5 न्याय निर्णायक प्राधिकारी का पदाभिधान और पता उन मामलों में, जिनमें वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, कलक्टर (अपील) का आदेश है।

6 पता, जिस पर अपीलार्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी।

7 पता, जिस पर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी।

8 क्या उस विनिश्चय या आदेश में जिसके विरुद्ध अपील की गई है कोई ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है जिसका संबंध शुल्क की दर या निर्धारण के प्रयोजनार्थ माल के मूल्य से है, यदि नहीं तो यथास्थिति शुल्क या अन्तर्वलित शुल्क, जुर्माने की रकम या अन्तर्वलित शास्ति या अन्तर्वलित माल के मूल्य में अन्तर।

9 क्या शुल्क या शास्ति का निक्षेप कर दिया गया है, यदि नहीं, तो क्या ऐसे निक्षेप से अभिमुक्ति के लिए कोई आवेदन किया गया है (उस चालान की प्रति जिसके अधीन निक्षेप किया गया है, लगाई जाएगी)।

10. अपील में दावा की गई राहतें ।

तथ्यों का कथन
अपील के आधार

1.
2.
3.
4.

इत्यादि

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि,
यदि कोई है, के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ····· अपीलार्थी यह घोषणा करता हूं कि जो ऊपर कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख ··· को सत्यापित किया गया।

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि,
यदि कोई है, के हस्ताक्षर

टिप्पण:—

(1) यदि अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा की गई है तो अपील के आधार और सत्यापन के प्रारूप पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के नियम 213 के उपबंधों के अनुसार अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(2) अपील जिसके अन्तर्गत तथ्यों का कथन और अपील के आधार हैं, चार प्रतियों में फाइल की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, बराबर की संख्या में प्रतियां लगाई जाएंगी (जिसमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी) ।

(3) अपील का प्रारूप अंग्रेजी (या हिन्दी) में होना चाहिए और उसमें संक्षिप्ततः तथा सुभिन्न शीर्षकों के अधीन अपील के आधार बिना किसी तर्क के या वर्णन के उपवर्णित होने चाहिएं और ऐसे आधार लगातार संख्याकित किए जाने चाहिए ।

(4) अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित 200 रु० की फीस का संदाय अधिकरण की न्यायपीठ के सहायक रजिस्ट्रार के पक्ष में उस स्थान पर, जहां न्यायपीठ स्थित है, अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा पर लिखे गए काम बैंक ड्राफ्ट की मार्फत किया जाएगा और मांगपत्र ड्राफ्ट अपील के प्रारूप के साथ संलग्न किया जाएगा ।

प्रारूप संख्या के०उ०शु०अ० 4

[नियम 216 (2) देखें]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35ख के अधीन अपील अधिकरण को किए जाने वाले प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन का प्रारूप ।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण में

वर्ष ····· का प्रत्याक्षेप सं० ·····

वर्ष ···· की अपील संख्या ··· ····· में

अपीलार्थी/आवेदक
बनाम
प्रत्यर्थी

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और वह कलक्टरी, जिसमें निर्धारण शास्ति/जुर्माने का आदेश/विनिश्चय किया गया था ।

2. यथास्थिति अपीलार्थी या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर द्वारा अपील अधिकरण को फाइल की गई अपील या आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख ।

3. पता जिस पर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी ।

4. पता जिस पर अपीलार्थी/आवेदक को सूचना भेजी जा सकेगी।

5. क्या उस विनिश्चय या आदेश में जिसके विरुद्ध अपील की गई है कोई ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है जिसका संबंध शुल्क की दर या निर्धारण के प्रयोजनार्थ माल के मूल्य से है, यदि नहीं तो यथास्थिति शुल्क या अन्तर्वलित शुल्क जुर्माने की रकम या अंतर्वलित शास्तियां अंतर्वलित माल के मूल्य में अंतर ।

6. प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन में दावा की गई राहतें ।

प्रत्याक्षेपो के आधार

(1)
(2)
(3)
(4)

प्राधिकृत प्रतिनिधि प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

यदि कोई है, के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ····प्रत्यर्थी यह घोषणा करता हूं कि जो ऊपर कथित है वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि
यदि कोई है, के हस्ताक्षर

टिप्पण

1. प्रत्याक्षेपों के आधार और सत्यापन के प्रारूप पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 213 के उपबंधों के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

2. प्रत्याक्षेपो के ज्ञापन का प्रारूप चार प्रतियों में फाइल किया जाएगा ।

3. प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन का प्रारूप अंग्रेजी (या हिन्दी में) होगा और उसमें संक्षिप्ततः तथा सुभिन्न शीर्षकों के अधीन प्रत्याक्षेपों के आधार बिना किसी तर्क या वर्णन के उपवर्णित होंगे और ऐसे आधारों को क्रमशः संख्याकित किया जाएगा ।

4. अपील/आवेदन की वह संख्या और वर्ष, जो अपील अधिकरण द्वारा आवंटित हो और प्रत्यर्थी को प्राप्त अपील/आवेदन की सूचना वर्णित हो, प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए जाएंगे।

प्ररूप संख्या के०उ०शु०अ० 5

(नियम 7 देखें)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 ङ (1) के अधीन अपील अधिकरण को आवेदन का प्ररूप ।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण में

वर्ष .....की अपील संख्या .....

आवेदक
बनाम
प्रत्यर्थी

1. प्रार्थी का पदाभिधान और पता (यदि प्रार्थी न्याय निर्णायक प्राधिकारी नहीं है तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कलक्टर से आवेदन करने के लिए प्राधिकरण की एक प्रति संलग्न करें।
2. प्रत्यर्थी का नाम और पता ।
3. उस अधिकारी का पदाभिधान और पता, जिसने वह विनिश्चय या आदेश पारित किया है, जिसकी बाबत यह आवेदन किया जा रहा है, तथा विनिश्चय या आदेश की तारीख ।
4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और कलक्टर जिसमें विनिश्चय/आदेश किया गया था ।
5. तारीख जिसको केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 ङ की उपधारा (1) के अधीन प्रशासक द्वारा आदेश पारित किया गया है ।
6. न्यायनिर्णयक प्राधिकारी के उपर्युक्त 3 में निर्दिष्ट आदेश को संशोधित करने की तारीख ।
7. क्या उस विनिश्चय या आदेश में जिसके विरुद्ध अपील की गई है कोई ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है जिसका संबंध शुल्क की दर या निर्धारण के प्रयोजनार्थ माल के मूल्य से है, यदि नहीं तो यथास्थिति शुल्क या अन्तर्वलित शुल्क जुर्माने की रकम या अंतर्वलित शास्तियां अंतर्वलित माल के मूल्य में अंतर ।
8. आवेदन में दावा की गई राहतें।

तथ्यों का कथन
आवेदन के आधार

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि,
यदि कोई है, के हस्ताक्षर

टिप्पण:—आवेदन का प्ररूप, जिसके अंतर्गत तथ्यों का कथन और आवेदन के आधार भी हैं, चार प्रतियों में फाइल किये जाएंगे और उसके साथ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय या आदेश की प्रतियां बराबर की संख्या में (जिनमें से कम से कम एक प्रमाणित प्रति होगी। और धारा 35ङ की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा आदेश की एक प्रति लगाई जाएगी।

प्ररूप सं० के०उ०शु०अ० 6

[नियम 218 (1) देखें]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 (ङ) (1) के अधीन निर्देश आवेदन का प्ररूप।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण में

(अपीलार्थी का नाम).....की अपील के मामले में वर्ष का (निर्देश आवेदन संख्या).....

(कार्यालय द्वारा भरा जाए)

.....आवेदक
बनाम
.....प्रत्यर्थी

1. राज्य या संघ राज्य क्षेत्र और वह कलक्टरी जहां से आवेदन फाइल किया गया है ।
2. अपील की संख्या जिससे निर्देश उद्भूत होता है।
3. पता जिस पर आवेदक को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी ।
4. पता जिस पर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी।
5. उपर्युक्त अपील का विनिश्चय तारीख .....को अपील अधिकरण की न्यायपीठ .....द्वारा किया गया था ।
6. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 ग के अधीन आदेश की सूचना की तारीख आवेदक पर ..... को की गई थी ।
7. तथ्य, जो अपील अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए और/या पाए गए हैं तथा जो मामले का कथन बनाने के लिए आवश्यक हैं, तुरंत निर्देश के लिए संलग्नक में कथित हैं।
8. अपील अधिकरण के आदेश से निम्नलिखित विधि के प्रश्न उद्भूत होते हैं:—

(1)
(2)
(3)
(4)

इत्यादि

9. आवेदक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 छ की उपधारा (1) के अधीन यह अपेक्षा करता है कि मामले का कथन बनाया जाए और पैरा 8 में निर्दिष्ट विधि के प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाए ।
10. नीचे विनिर्दिष्ट रूप में दस्तावेजों और उनकी प्रतियों को (जहां दस्तावेजों का अंग्रेजी में अनुवाद आवश्यक है, संलग्न है) मामले के कथन के साथ उच्च न्यायालय को अग्रेषित किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि,
यदि कोई है, के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं .....आवेदक घोषणा करता हूं कि जो ऊपर कथित है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है । आज तारीख .....को सत्यापित किया गया ।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्राधिकृत प्रतिनिधि,
यदि कोई है, के हस्ताक्षर

टिप्पण

1. प्रावेदन के प्रारूप और सत्यापन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 213 के उपबंधों के अनुसार आवेदक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

2 आवेदन तीन प्रतियों में फाइल किया जाएगा।

3 अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित 200 रु० की फीस का संदाय अधिकरण की न्यायपीठ के सहायक रजिस्ट्रार के पक्ष में उस स्थान पर जहां न्यायपीठ स्थित है, अवस्थित राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा पर लिखे गए रेखित बैंक ड्राफ्ट की मार्फत किया जाएगा और मांगदेय ड्राफ्ट निर्देश आवेदन के प्रारूप के साथ संलग्न किया जाएगा।

प्ररूप सं० के० उ० शु० प्र० 7

[नियम 218 (2) देखें]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 (छ) (2) के अधीन उच्च न्यायालय को निर्देश के मामले में अपील अधिकरण को किए जाने वाले प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप।

सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपील अधिकरण में

वर्ष...... का प्रति निर्देश आवेदन संख्या ......

वर्ष...... का निर्देश आवेदन संख्या ....

.... आवेदक

बनाम

.... प्रत्यर्थी

1. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और कलक्टरी जहां से प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन फाइल किया गया है।

2. प्रत्यर्थी द्वारा अपील अधिकरण में फाइल किए गए आवेदन की सूचना की प्राप्ति की तारीख।

3 पता जिस पर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी।

4 पता जिस पर आवेदक को सूचनाएं भेजी जा सकेंगी।

5. तथ्य जो अपील अधिकरण द्वारा स्वीकार किए गए और/या पाए गए हैं तथा जो मामले का कथन बनाने के लिए आवश्यक हैं, तुरन्त निर्देश के लिए संलग्नक में कथित हैं।

6. अपील अधिकरण के आदेश से निम्नलिखित विधि के प्रश्न उद्भूत हैं--

1.

2.

3.

4

7. प्रत्यर्थी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 35 छ की उपधारा (1) के अधीन यह अपेक्षा करता है कि मामले का कथन बनाया जाए और उपर्युक्त पैरा 6 में निर्दिष्ट विधि के प्रश्नों को उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाए।

8. नीचे विनिर्दिष्ट रूप में दस्तावेजों और उनकी प्रतियों को (जहां दस्तावेजों का अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक समझा गया है) मामले के कथन के साथ उच्च न्यायालय को अग्रेषित किया जाए।

प्राधिकृत प्रतिनिधि,

यदि कोई है, के हस्ताक्षर प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ......प्रत्यर्थी यह घोषणा करता हूं कि जो ऊपर कथित है, वह मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

आज तारीख ...... को सत्यापन किया गया

प्राधिकृत प्रतिनिधि,

यदि कोई है, के हस्ताक्षर

प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पणी

1 प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन के प्ररूप और सत्यापन के प्ररूप पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 213 के उपबंधों के अनुसार हस्ताक्षर किए जायेंगे।

2 प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन तीन प्रतियों में फाइल किया जायेगा।

[फा० सं० 208/25/82-के०उ० 6]

सी० महेश, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 1982

No. 214/82-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 563(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Excise (11th Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In rule 2 of the Central Excise Rules, 1944 (hereinafter referred to as the said rules), in clause (iia),—

(a) for the words, "Appellate Collcetor" means the words and brackets, "Collector (Appeals)" means' shall be substituted :

(b) for the words "Appellate Collector of Central Excise" wherever they occur, the words and brackets "Collector of Central Excise (Appeals)" shall be substituted.

3. In Chapter XII of the said rules—

(a) for the heading "Penalties, confiscations and appeals", the heading "Penalties and confiscations" shall be substituted;

(b) rules 213 and 214 shall be omitted.

4. After Chapter XII of the said rules, the following Chapters shall be inserted, namely :—

"CHAPTER XIIA

Appeals to Collector (Appeal)

213. Form of appeal to Collector (Appeals)

(1) An appeal under sub-section (1) of section 35 to the Collector (Appeals) shall be made in Form No. E.A.1.

(2) The grounds of appeal and the form of verification as contained in Form No. E.A.1, shall be signed —

(a) in the case of an individual, by the individual himself of where the individual is absent from India, by the individual concerned or by some person duly authorised by him in this behalf and; where the individual is a minor or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by his guardian or by any other person competent to act on his behalf;

(b) in the case of a Hindu undivided family, by the Karta and, where the Karta is absent from India or is mentally incapacitated from attending to his affairs, by any other adult member of such family;

(c) in the case of a company or local authority, by the principal officer thereof;

(d) in the case of a firm, by any partner thereof, not being a minor;

(e) in the case of any other association, by any member of the association or the principal officer thereof; and

(f) in the case of any other person, by that person or some person competent to act on his behalf.

(3) The form of appeal in Form No. E.A1,, shall be filed in duplicate and shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against.

214. Form of application to the Collector (Appeals)

(1) An application under sub section (4) of section 35E to the Collector (Appeals) shall be made in Form No. E.A.-2.

(2) The form of application in Form No, E.A.-2 shall be filed in duplicate and shall be accompanied by two copies of the decision or order passed by the adjudicating authority (one of which at least shall be a certified copy) and a copy of the order passed by the Collector of Central Excise directing such authority to apply to the Collector (Appeals).

215. Production of additional evidence before Collector (Appeals).

(1) The appellant shall not be entitled to produce before the Collector (Appeals) any evidence, whether oral or documentary, other than the evidence produced by him during the course of the proceedings before the adjudicating authority except in the following circumstances, namely :—

(a) where the adjudicating authority has refused to admit evidence which ought to have been admitted; or

(b) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority; or

(c) where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before the adjudicating authority any evidence which is relevant to any ground of appeal; or

(d) where the adjudicating authority has made the order appealed against without giving sufficient opportunity to the a appellant to adduce evidence relevant to any ground of appeal.

(2) No evidence shall be admitted under sub-rule (1) unless the Collector (Appeals) records in writing the reasons for its admission.

(3) The Collector (Appeals) shall not take any evidence produced under sub-rule (1) unless the adjudicating authority or an officer authorised in this behalf by the said authority has been allowed a reasonable opportunity :—

(a) to examine the evidence or document or to cross-examine any witness produced by the appellant, or

(b) to produce any evidence or any witness in rebuttal of the evidence produced by the appellant under sub-rule (1).

(4) Nothing contained in this rule shall affect the power of the Collector (Appeals) to direct the production of any document, or the examination of any witness, to enable him to dispose of the appeal.

CHAPTER XII-B

Appeals to Appellate Tribunal

216. Form of appeal, etc. to the Appellate Tribunal.

(1) An appeal under sub-section (1) of section 35B to the Appellate Tribunal shall be made in Form No. EA-3.

(2) A memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal under sub-section (4) of section 35B shall be made in Form No. E.A-4.

(3) Where an appeal under sub-section (1) of section 35B or a memorandum of cross-objections under sub-section (4) of that section is made by any person other than the Collector of Central Excise, the grounds of appeal, the grounds of cross-objections and the forms of vertification as contained in Form Nos. E.A.-3 and E.A.-4, as the case may be, respectively shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 213.

(4) The form of appeal in Form No. E.A.3 and the form of memorandum of cross-objections in Form No. E.A.-4 shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the order appealed against (one of which at least shall be a certified copy).

217. Form of application to the Appellate Tribunal.

(1) An application under sub-section (1) of section 35E to the Appellate Tribunal shall be made in Form No. E.A.-5.

(2) The form of application in Form No. E.A.5 shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the decision or order passed by the Collector of Central Excise (one of which at least shall be a certified copy) and a copy of the order passed by the Board directing such Collector to apply to the Appellate Tribunal.

218. Form of application to the Appellate Tribunal for reference to the High Court.

(1) An application under sub-section (1) of section 35G requiring the Appellate Tribunal to refer to the High Court any question of law shall be made in Form No. E.A.-6 and such application shall be filed in triplicate.

(2) A memorandum of cross-objections under sub-section (2) of section 35G to the Appellate Tribunal shall be made in Form No. E.A.-7 and such memorandum shall be filed in triplicate.

(3) Where an application under sub-section (1) of section 35G or a memorandum of cross-objections under sub-section (2) of that section is made by any person other than the Collector of Central Excise, the application, the memorandum and the forms of verification as contained in Form Nos. E.A.-6 and E.A.-7 respectively shall be signed by the person specified in sub-rule (2) of rule 213".

CHAPTER—XII C

OTHER MATTERS RELATING TO APPEALS

219. Language of the Appellate Tribunal :

(1) The language of the Appellate Tribunal shall be English.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the parties to a proceeding before the Appellate Tribunal may file documents drawn up in Hindi if they so desire.

220. Procedure for filing appeals etc.

(1) An appeal in Form No. E.A.-3 or a memorandum of cross-objections in Form No. E.A.-4 or Form No. E.A.-7 or an application in Form No. E.A.-5 or Form No. E.A.-6 shall be presented in person to the Registrar or an officer authorised in this behalf by the Registrar or sent by registered post addressed to the Registrar or such officer.

(2) An appeal or a memorandum of cross-objection or an application sent by post under sub-rule (1) shall be deemed to have been presented to the Registrar or to the officer authorised by the Registrar, on the date on which it is received in the office of the Registrar, or as the case may be in the office of such officer.

220A. Date of presentation of appeals etc.

The Registrar, or as the case may be, the officer authorised by him under rule 220 shall endorse on every appeal or memorandum of cross-objections or application the date on which it is presented or deemed to have been presented under that rule and shall sign the endorsement.

220B. Who may be joined as respondents :

(1) In an appeal by a person other than the Collector of Central excise, the Collector concerned shall be made the respondent to the appeal.

(2) In an appeal or an application by the Collector of Central Excise, the other party shall be made the respondent to the appeal or application, as the case may be.

220C. Document authorising authorised representatives to be attached to the appeal etc.

In any appeal, or memorandum of cross-objections or application, filed by any person other than a departmental authority, where it is signed by his authorised representative, the document authorising the representative to sign and appear for him shall be appended to such appeal or memorandum of cross-objections or application.

220D. Endorsing copies to the other party :

The Appellate Tribunal shall send a copy of the appeal or memorandum of cross-objections or application to the other party as soon as it is filed

220E. Procedure for filing and disposal of stay petition :

(1) (a) Every application preferred under the provisions of the Act for stay of the requirement of making deposit of any duty demanded or penalty levied shall be presented in triplicate by the appellant in person or by his duly authorised agent, or sent by registered post to the Registrar or any other officer authorised to receive appeals.

(b) One copy each of such application shall be served on the authorised representative of the Collector simultaneously by the applicant.

(2) Every application for stay shall be neatly typed on one side of the paper and shall be in English and the provisions of sub-rule (2) of Rule 219 shall apply to such application.

(3) An application for stay shall setforth concisely the following :

(a) the facts regrading the demand of duty or penalty, the deposit whereof is sought to be stayed.

(b) the exact amount of duty or penalty and the amount undisputed therefrom the amount outstanding;

(c) the date of filing of the appeal before the Tribunal and its number, if known;

(d) whether the application for stay was made before any authority under the Act or any civil court and, if so, the result thereof (copies of the correspondence, if any, with such authorities to be attached);

(e) reasons in brief for seeking stay;

(f) whether the applicant is prepared to offer security and, if so, in what form;

(g) prayers to be mentioned clearly and concisely (state the exact amount sought to be stayed).

(4) The contents of the application shall be supported by an affidavit sworn to by the appellant or his duly authorised agent.

(5) Every application for stay shall be accompanied by three copies of the relevant orders of the authorities of the department concerned, including the appellate orders, if any, against which the appeal is filed to the Appellate Tribunal by the Appellant and other documents, if any;

Provided, however, that the Appellate Tribunal may in its discretion and at the request of the applicant, dispense with the requirements of filing of the copies of such orders.

(6) Any application which does not conform to the above requirements is liable to be summarily rejected.

5. After rule 232A of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"232B. Qualifications for authorised representatives.—For the purposes of section 35Q, an authorised representative shall include a person who has acquired any of the following qualifications being the qualifications specified under clause (d) of sub-section (2) of section 35Q, namely :—

(a) a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), or

(b) a Cost Accountant within the meaning of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959); or

(c) a Company Secretary within the meaning of the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) who has obtained a certificate of practice under section 6 of that Act; or

(d) a post-graduate or an Honours degree holder in Commerce or a post graduate degree or diploma holder in Business Administration from any recognised university; or

(e) a person formerly employed in the Department of Customs and Central Excise or Narcotics and has retired or resigned from such employment after having rendered service in any capacity in one or more of the said departments for not less than ten years in the aggregate.

Explanation : In this rule "recognised University" means any of the Universities specified below, namely:—

I. Indian Universities

Any Indian University incorporated under any law for the time being in force in India;

II. Rangoon University;

III. English and Welsh Universities

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge, Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Sheffield and Wales;

IV. Scottish Universities

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews;

V. Irish Universities

The Universities of Dublin (Trinity College), the Queen's University, Belfast and the National University of Dublin;

VI. Pakistan Universities

Any Pakistan University incorporated by any law for the time being in force;

VII. Bangladesh Universities

Any Bangladesh University incorporated by any law for the time being in force.

232C. Authority under section 35Q(5)(b)

The Collector of Central Excise having jurisdiction in the proceedings in which a person who is not a legal practitioner is found guilty of misconduct in connection with that proceeding under the Act shall be the authority for the purposes of clause (b) of sub-section (5) of section 35Q.

6. In Appendix A(I) to the said rules —

(a) in "A(I) List of Central Excise Forms", after Central Excise Series No. 87 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Central Excise Series No.	Description of Forms	Rule No.	Short Title
88.	Form of appeal to the Collector (Appeals) under section 35 of the Act	231	E.A-1
89.	Form of application to the Collector (Appeals) under section 35E of the Act	214	E.A-2
90.	Form of appeal to the Appellate Tribunal under esection 35B of the Act	216	E.A-3
91.	Form of memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal under section 35B of the Act	216	E.A-4
92.	Form of application to the Appellate Tribunal under section 35E of the Act	217	E.A-5
93.	Form of reference application to the Appellate Tribunal under Section 35G of the Act	218	E.A-6
95.	Form of memorandum of cross-objections to the Appellate Tribunal in the matter of reference to the High Court under section 35G of the Act	218	E.A-7"

(b) in "B(II) Specimen Forms", after Form C.T. 2, the following Forms shall be inserted namely—

FORM NO. E.A.-1

[See rule 213(1)]

FORM OF APPEAL TO THE COLLECTOR (APPEALS) UNDER SECTION 35 OF THE CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, 1944

(1) No.——————of—— ——-19————

(2) Name and address of the appellant.

(3) Designation and address of the officer passing the decision or order appealed against and the date of the decision or order.

(4) Date of communication of the decision or order appealed against to the appellant.

(5) Address to which notices may be sent to the appellant.

(6) Whether duty or penalty or both is deposited; if not whether any application for dispensing with such deposit has been made (A copy of the challan number under which the deposit is made shall be furnished)

(7) Reliefs claimed in appeal.

Statement of facts

Grounds of appeals

Signature of the authorised representative, if any — Signature of the appellant

Verification

I..................................the appellant, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified to-day, the..............day of.........19........

Place..................

Date.....................

Signature of the authorised representative, if any — Signature of the appellant

Notes : (1) The grounds of appeal and the form of verification shall be signed by the appellant in accordance with the provisions of rule 213 of the Central Excise Rules.

(2) The form of appeal including the statement of facts and the grounds of appeal shall be filed in duplicate and shall be accompanied by a copy of the decision or order appealed against.

FORM NO. E.A. 2

(See rule 214)

FORM OF APPLICATION TO THE COLLECTOR (APPEALS) UNDER SECTION 35E(4)OF THE CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, 1944

No.——————of————19——

——————Applicant

Vs.

——————Respondent

(1) Designation and address of the applicant. If the applicant is not the adjudicating authority, a copy of the authorisation from the Collector of Central Excise to make the application should be enclosed.

(2) Name and address of the respondent.

(3) Designation and address of the officer passing the decision or order in respect of which this application is being made and the date of the decision or order.

(4) Date on which the order under sub-section (1) of section 35E of the Central Excises and Salt Act, 1944 has been passed by the Collector of Central Excise.

(5) Date of communication of the order referred to in (4) above to the adjudicating authority.

(6) Reliefs claimed in the application.

Statement of facts

Grounds of application

Signature of the applicant.

Note.—The form of application including statement of facts and grounds of application shall be filed in duplicate and accompanied by two copies of the decision or order passed by the adjudicating authority (one of which at least shall be a certified copy) and a copy of the order of the Collector of Central Excise under sub-section (2) of section 35E of the Act.

FORM E.A. 3

[See rule 216(1)]

FORM OF APPEAL TO APPELLATE TRIBUNAL UNDER SECTION 35B OF THE CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, 1944.

In the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal.

Appeal No.———— of 19————

————Appellant

Vs.

————Respondent.

1. The designation and address of the authority passing the order appealed against.
2. The number and date of the order appealed against.
3. Date of communication of a copy of the order appealed against.
4. State/Union territory and the Collectorate in which the order/decision of assessment/penalty/fine was made.
5. Designation and address of the adjudicating authority in cases where the order appealed against is an order of the Collector (Appeals).
6. Address to which the notices may be sent to the appellant.
7. Address to which notices may be sent to the respondent.
8. Whether the decision or order appealed against involves any question having a relation to the rate of duty of excise or to the value of goods for purposes of assessment; if not, difference in duty or duty involved, or amount of fine or penalty involved or value of goods involved as the case may be.
9. Whether duty or penalty is deposited; if not, whether any application for dispensing with such deposit has been made. (A copy of the challan under which the deposit is made shall be furnished).
10. Reliefs claimed in appeal.

Statement of Facts
Grounds of Appeal

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Etc.

Signature of the authorised representative, if any

Signature of the Appellant

VERIFICATION

I, ————, the appellant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today the———— ——day of————19——

Signature of the authorised representative, if any.

Signature of the appellant.

NOTES :

1. The grounds of appeal and the form of verification shall if the appeal is made by any person, other than the Collector of Central Excise, be signed by the appellant in accordance with rule 213 of Central Excise Rules.
2. The appeal including the statement of facts and the grounds of appeal shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the order appealed against (one of which at least shall be a certified copy).
3. The form of appeal shall be in English (or Hindi) and should set forth, concisely and under distinct heads, the grounds of appeal without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.
4. The fee of Rs. 200 required to be paid under the provisions of the Act shall be paid through a crossed bank draft drawn in favour of the Assistant Registrar of the Bench of the Tribunal on a branch of any nationalised bank located at the place where the Bench is situated and the demand draft shall be attached to the form of appeal.

FORM NO. E.A. 4

[See rule 216(2)]

FORM OF MEMORANDUM OF CROSS OBJECTIONS TO THE APPELLATE TRIBUNAL UNDER SECTION 35B OF THE CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, 1944

In the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal

Cross objection No.————————of 19————

In appeal No.————————of 19————

————Appellant

Vs.

————Respondent

1. State/Union Territory and the Collectorate in which the order/decision of assessment/penalty/fine was made.
2. Date of receipt of notice of appeal or application filed with the Appellate Tribunal by the appellant or as the case may be, the Collector of Central Excise
3. Address to which notices may be sent to the respondent.
4. Address to which notices may be sent to the appellant/applicant.
5. Whether the decision or order appealed against involves any question having a relation to the rate of duty of excise or to the value of goods for purposes of assessment; if not, difference in duty or duty involved, or amount of fine or penalty involved or value of goods involved, as the case may be.
6. Reliefs claimed in the memorandum of cross objections.

GROUNDS OF CROSS OBJECTIONS

1.
2.
3.
4.

etc.

Signature of the authorised representative, if any.

Signature of the respondent.

VERIFICATION

I, ———————————— the respondent, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified, today, the———day of ——— 19——

Signature of the authorised representative, if any. Signature of the respondent.

NOTES:

1. The grounds of cross-objections and the form of verification shall be signed by the respondent in accordance with the provisions of rule 213 of the Central Excise Rules, 1944.
2. The form of memorandum of cross objections shall be filed in quadruplicate.
3. The form of memorandum of cross-objections should be in English (or Hindi) and should set forth, concisely and under distinct heads the grounds of the cross-objections without any argument or narrative and such grounds should be numbered consecutively.
4. The number and year of appeal/application as allotted by the office of the Appellate Tribunal and appearing in the notice of appeal/application received by the respondent is to be filled in by the respondent.

FORM NO. E.A. 5

(See rule 217)

FORM OF APPLICATION TO THE APPELLATE TRIBUNAL UNDER SECTION 35E (1) OF THE CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, 1944

In the Customs, Excise and Gold (Control) Appellate Tribunal.

Appeal No.———————— of ————————

————————Applicant

Vs.

————————Respondent.

1. Designation and address of the applicant (If the applicant is not the adjudicating authority, a copy of the authorisation from the Collector of Central Excise to make the application should be enclosed).
2. Name and address of the respondent.
3. Designation and address of the officer passing the decision or order in respect of which this application is being made and the date of the decision or order.
4. State/Union territory and the Collectorate in which the decision or order was made.
5. Date on which order under sub-section (1) of section 35E of the Central Excises and Salt Act, 1944 has been passed by the Board.
6. Date of communication of the order referred to in (3) above to the adjudicating authority.
7. Whether the decision or order appealed against involves any question having a relation to the rate of duty of excise or to the value of goods for purposes of assessment; if not, difference in duty or duty involved, or amount of fine or penalty involved or value of goods inolved, as the case may be.
8. Reliefs claimed in the application.

Statement of facts

Grounds of application

Signature of the applicant.

Note: The form of application including the statement of facts and grounds of application shall be filed in quadruplicate and shall be accompanied by an equal number of copies of the decision or order passed by the Collector of Central Excise (one of which at least shall be a certified copy) and a copy of the order passed by the Board under sub-section (1) of Section 35E.

FORM NO. E.A. 6

[See rule 218(1)]

FORM OF REFERENCE APPLICATION UNDER SECTION 35G(1) OF THE CENTRAL EXCISES AND SALT ACT, 1944

In the Customs, Excise, Gold (Control) Appellate Tribunal

In the matter of appeal of ———— ——(name of the (appellant)

Reference Application No.————of————19——

(To be filled in by the office)

————————Applicant

Vs.

————————Respondent

1. State or Union territory and the Collectorate from which the application is filed.
2. Number of appeal which gives rise to the reference.
3. Address to which notices may be sent to the applicant.
4. Address to which notices may be sent to the respondent.
5. The appeal noted above was decided by the————Bench of the Appellate Tribunal on————
6. The notice of the order under section 35C of the Central Excises and Salt Act, 1944 was served on the applicant on————.
7. The facts which are admitted and/or found by the Appellate Tribunal and which are necessary for drawing up a statement of the case, are stated in the enclosure for ready reference.
8. The following questions of law arise out of the order of the Appellate Tribunal.

1.

2.

3. etc.

9. The applicant, therefore, requires under sub-section (1) of section 35G of the Central Excises and Salt Act, 1944 that a statement of the case be drawn up and the questions of law referred to in paragraph 8 above be referred to the High Court.

10. The documents or copies thereof specified below (the translation in English of the documents, where necessary is annexed) be forwarded to the High Court with the statement of the case.

Signature of the authorised representative, if any.

Signature of the applicant

VERIFICATION

I, ———————the applicant do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, the———— day of———— 19——.

Signature of the authorised representative, if any.

Signature of the applicant

NOTES:

1. The application and form of verification shall be signed by the applicant in accordance with the provisions of rule 213 of the Central Excise Rules, 1944.
2. The application shall be filed in triplicate.
3. The fee of Rs. 200 required to be paid under the provisions of the Act shall be paid through a crossed bank draft drawn in favour of the Assistant Registrar of the Bench of the Tribunal on a branch of any nationalised bank located at the place where the Bench is situated and the demand draft shall be attached to the form of reference application.

FORM NO. E.A.-7

[See rule 218(2)]

FORM OF MEMORANDUM OF CROSS OBJECTION TO THE APPELLATE TRIBUNAL IN THE MATTER OF REFERENCE TO THE HIGH COURT UNDER SECTION 35G(2)

In the Customs, Excise & Gold (Control) Appellate Tribunal

Cross Reference Application No.———— of 19——.

Reference Application No. ———— of 19——.

————————Applicant

Vs.

————————Respondent

1. State/Union territory and the Collectorate from which the memorandum of cross-objections is filed.
2. Date of receipt of notice of application filed with the Appellate Tribunal by the respondent.
3. Address to which notices may be sent to the respondent.
4. Address to which notices may be sent to the applicant.
5. The facts which are admitted and/or found by the Appellate Tribunal and which are necessary for drawing up a statement of the case, are stated in the enclosure for ready reference.
6. The following questions of law arise out of the order of the Appellate Tribunal.

(1)

(2)

(3) etc.

7. The respondent, therefore, requires under sub-section (1) of section 35G of the Central Excises and Salt Act, 1944 that a statement of the case be drawn up and the questions of law referred to in paragraph 6 above be referred to the High Court.
8. That the documents or copies thereof as specified below (the translation in English of the documents where necessary, is annexed) be forwarded to the High Court with the statement of the case.

Signature of the authorised representative, if any.

Signature of the respondent.

VERIFICATION

I,———————— the respondent, do hereby declare that what is stated above is true to the best of my information and belief.

Verified today, the————day of————19——.

Signature of the authorised representatives, if any.

Signature of the respondent.

NOTES:

1. The form of Memorandum of cross objections and the form of verification shall be signed in accordance with the provisions of rule 213 of the Central Excise Rules, 1944.
2. The memorandum of cross objections shall be filed in triplicate.

[Notification No. 214/82 CE F. No. 208/25/82-CX.6]

C. MAHESH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982